

I/49762/2021(2)

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर**

No.AMG-IV(HQ)/G-03/F-01/Tour Programme-03

Date:

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी-4 द्वारा माह मई 2021 के प्रारंभ में जारी निर्देशों के अनुसरण में FABA on 'Mission for Integrated Development of Horticulture' हेतु निम्न लेखापरीक्षा दल को नामित किया जाता है, दल हेतु दौरा कार्यक्रम निम्नानुसार है -

Tour Programme (Party-03)

FABA on Mission for integrated Development of Horticulture

-

Name of Party members:

Sh. Sanjay Saunkiya, Sr.AO

Sh.Bharat Chaudhary, AAO

Sh. Lal Dev Kumar, AAO

Unit Name	Category	Days	Period
Transit to Bhopal		01	20.06.2021
Directorate, Horticulture & Food Processing Department (Including Mission Director, State Horticulture Mission), Bhopal	A	10	21.06.2021 to 01.07.2021
Transit to Ratlam		01	02.07.2021
Assistant Director, Horticulture department, Ratlam	A	08	03.07.2021 to 13.07.2021
Transit to Gwalior		01	14.07.2021

Holidays in June: 27**Holidays in July: 4,10,11,17,18,21,25**

1. Desk Review के material सहित दिनांक 18.06.2021 तक कार्य योजना उपमहालेखाकार महोदय को प्रस्तुत करें |
2. FABA के लिए कबरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की होगी | आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कबरेज भी शामिल किया जा सकता है |
3. लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएँ | लेखापरीक्षित इकाई में योजनान्तर्गत नियमानुसार संधारित होने वाले अभिलेखों / पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें |
4. लेखापरीक्षा दल , FABA से सम्बन्धित योजना/कार्यों के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैनकॉपी / फोटोकॉपी एकत्र करेगा | FABA से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां, फ्राइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMS, PFMS, MIS, Portal, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी एकत्र करेगा | लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े | (e-Payment list for whole Audit period to be collected.)
5. फील्ड कबरेज पूर्ण होने के एक सप्ताह के अंदर गाईड लाईन, ए.डी.एम. एवं इश्यू एनालिसिस के साथ पायलट स्टूडी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है |

I/49762/2021(2)

6. Data of software to be obtained in Hard drive.
7. No Audit memos to be issued without the approval of DAG.
8. Daily update on records to be given to DAG. A nodal officer may be nominated for this Audit.
9. कोविड -19 के सम्बन्ध में जारी दिशा -निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य सम्पन्न करेंगे |
10. After return from field, Audit party will work from home and submit the files in e-office/e-mail for 05 working days. If no symptoms is found they may come to office.

(प्राधिकार:प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा अनुमोदित)

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी..4